संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बी ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल–23, मध्यप्रदेश

क्रमांक/तक./पंजीयन/ *2018*

भोपाल,दिनांक : *25/07/2018*

प्रमाण-पत्र

पंजीयन क्रमांक-	***ई- पंजीयन****/330/2018*
जारी दिनांक-	*25/07/2018*

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्रमांक/डी-17-5/15/14-3 दिनांक 30.08.2017 द्वारा राज्य पंजीकरण समिति द्वारा

निर्माता :- *किसान एग्रो इंडस्ट्रीज*

को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में परिशिष्ट-1 में उल्लेखित सामग्री का विक्रय परिशिष्ट-2 में उल्लेखित अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से किये जाने हेतु निम्न उल्लेखित शर्तो के अनुसार पंजीकृत किया जाता है:-

पंजीयन की शर्तें :-

1. ट्रैक्टर, पावर टिलर, शक्तिचलित/स्वचलित कृषि यंत्र, ड्रिप, स्प्रिंकलर सिस्टम, पाईप लाईन, डीजल एवं विद्युत पंप के निर्माताओं का पंजीयन दिनांक --- तक नवीनीकृत किया जाता है। पंजीयन "ई- कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल" की पोर्टल फीस जमा होने पर आगामी एक वर्ष हेतु पुनः नवीनीकृत किया जा सकेगा। पंजीयन अवधि के दौरान बी.आई.एस. (आई.एस.आई.) लायसेन्स की वैधता समाप्त होने पर पंजीयन स्वतः निलंबित हो जावेगा जो नवीनीकृत बी.आई.एस. लायसेन्स प्रस्तुत होने पर पुनः उल्लेखित अवधि हेतु मान्य होगा।
2. हस्त चलित/बैलचलित कृषि यंत्र निर्माताओं का पंजीयन वर्ष 01.04.2018 से 31.03.2022 तक वैध रहेगा।
3. पंजीयन प्रमाण-पत्र विक्रय परिसर के ऐसे खुले जगह पर प्रदर्शित किये जावें जिसे आसानी से देखा जा सके।
4. प्रमाण-पत्र धारी निर्माताओं द्वारा विभागीय नियमों एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
5. सामग्री के तकनीकी मापदण्ड एवं विक्रय मूल्य में परिवर्तन होने पर संचालनालय को विवरण सहित सूचना देना अनिवार्य होगा।
6. शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लिये जाने की स्थिति में पंजीयन प्रमाण-पत्र परिवर्तनीय होगा।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य स्तरीय पंजीयन समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
8. पंजीकृत सामग्री पर अनुदान प्राप्त होने/ना होने की पात्रता तथा अनुदान की सीमा संबंधित योजना के नियमों के अनुसार होगी।

संचालक,कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश, भोपाल

संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी
कृते संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्य प्रदेश, भोपाल

प्रति,

किसान एग्रो इंडस्ट्रीज

442, Suhagi, Adhartal, Jabalpur (M.P.)

Electronically Generated Certificate